न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारीः उज्ज्वल राठौड़, I.A.S.

प्रकरण संख्या –1/2017 (आवन्टन निरस्तीकरण)

GCMS No. 2017/00038

1. गीताबाई पत्नि बापूनाथ जाति नाथ
2. नन्दू बाई पत्नि छीतरनाथ जाति नाथ

निवासीगण–ग्राम गोविन्दा तहसीलदार रामगंजमण्डी जिला कोटा

––प्रार्थी.

बनाम

1. नारायण पत्र दोला जाति ऐरवाल निवासी–ग्राम डींगसी तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा–राज0
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रामगंजमण्डी जिला कोटा

––अप्रार्थी.

प्रार्थना पत्र वास्ते आवंटन निरस्त किये जाने बाबत आवंटन दिनांक 21.12.2010 भूमि आवंटन सलाहकार समिति रामगंजमण्डी नियम 14 (4) के भू आवंटन अधिनियम

उपस्थित–

1. श्री रामबाबू मालव, अभिभाषक प्रार्थी
2. श्री जितेन्द्र नामा, अभिभाषक अप्रार्थी

निर्णय

दिनांक 31/03/2021

1. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम डींगसी तहसील रामगंजमण्डी की खसरा नं0 187 की 0.32 हे0 भूमि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा नारायण पुत्र दोला ऐरवाल निवासी डींगसी को कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन की जाने पर उक्त आवंटन के विरूद्व प्रार्थीया द्वारा आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत आवंटन निरस्तीकरण हेतु आवेदन पेश किया है ।
2. प्रार्थीया द्वारा उक्त आवंटन के विरूद्व दिनांक 22.11.2016 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि ग्राम डींगसी में खाता संख्या नया 36 पुराना 29 में स्थित भूमि खसरा नम्बर 186 रकबा 0.81 हे0 भूमि स्थित है जिस पर प्रार्थीगण का शांतिपूर्वक तरीके से कब्जा काश्त करते चले आ रहे है जिसके प्रार्थीगण रिकार्डेड खातेदार है । अप्रार्थी द्वारा काश्त करने के लिये नई भूमि देने हेतु आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष आवेदन किया जिसमें खसरी नम्बर 187 की रकबा 0.32 हे0 भूमि का आवंटन करने हेतु आवेदन किया उस पर भूमि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा अप्रार्थी कम–1 को भूमि हीन मानते हुए दिनांक 21.12.2010 को अप्रार्थी को भूमि आवंटन करने की राय दी और आदेश अध्यक्ष भू आवंटन सलाहकार समिति द्वारा अप्रार्थी के आवंटित भूमि पर गैर

जिला कलेक्टर
कोटा

Scanned by CamScanner

खातेदारी अधिकार दर्ज किये जावें । आवंटन आदेश जारी किया गया । भूमि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा अप्रार्थी को किया गया आवंटन विधि के सर्वथा विपरीत होने से निरस्तनीय है क्योंकि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा भूमि आवंटन करने से पूर्व किसी भी प्रकार की उद्घोषणा के अभाव में अप्रार्थीगण को किया गया आवंटन निरस्तनीय है । आवंटन सलाहकार समिति द्वारा अप्रार्थी कम–1 को मौके पर कोई भी आवंटन का दस्तावेज नहीं सम्भलाया गया और न ही उक्त आवंटन की प्रकिया मौके पर की गई । जबकि विधि के अनुसार समस्त आवंटन प्रकिया मौके पर ही कर आवंटी को दखल नामा दिया जाना चाहिए था और सारी प्रकिया मौके पर ही करना चाहिए थी । अप्रार्थी कम–1 को आज दिनांक तक भी दखल नहीं दिया गया है । आवंटित की गई आराजी के पास अप्रार्थीगण अपनी कृषि भूमि पर शांति पूर्वक खेती कर रहे है । अप्रार्थी कम–1 को आवंटित करने से प्रार्थी के कृषि भूमि पर अप्रार्थीगण द्वारा अशांति एवं बाधा उत्पन्न की जा रही है । भूमि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा अप्रार्थी कम–1 से मिली भगत कर कपट पूर्वक मिथ्या रूप से आवंटन किया गया है । क्योंकि अप्रार्थी कम–1 को आवंटित की गई भूमि का केवल मात्र कागजों में ही दखल दिया गया है । मौके पर किसी प्रकार का कोई दखल नामा अप्रार्थी कम–1 को नहीं दिया गया है और न ही उक्त भूमि पर कब्जा दिया गया है । कब्जे के अभाव में अप्रार्थी को किया गया आवंटन विधि के सर्वथा विपरीत होने से निरस्तनीय है । आवंटन सलाहकार समिति द्वारा अप्रार्थी कम–1 को एक मात्र रूप से परफोर्मो पर आवंटन किया गया है । अप्रार्थी कम–1 द्वारा इस दिनांक को आवंटन किया गया है । अप्रार्थी कम–1 द्वारा इस दिनांक को आवंटन हेतु आवंटन किया गया है उक्त आवेदन पर किसी प्रकार की कोई आवेदन दिनांक अंकित नहीं है । इसी प्रकार पटवारी रिपोर्ट कौनसी दिनांक को की गई इस पर भी किसी प्रकार की कोई दिनांक अंकित नहीं है । आदेश अध्यक्ष भू आवंटन सलाहकार समिति द्वारा आवंटित की गई उस पर सहायक कलेक्टर द्वारा कौन सी दिनांक को गैर खातेदारी में दर्ज करने का आदेश दिया गया है इस पर भी दिनांक अंकित नहीं है । दखलनामा कौनसी दिनांक को दिया गया दिनांक अंकित नहीं है । इस प्रकार अप्रार्थीगण को किया गया आवंटन प्रकिया अवैधानिक एवं दूषित होने से निरस्त होने योग्य है । आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 21.12.2010 को किये गये आवंटन की जानकारी प्रार्थीगण को सर्वप्रथम जमाबंदी की नकर लेने पर हुई जिस पर प्रार्थीगण द्वारा आवंटन पत्र की नकल व कमांक/राजस्व/2010/170–71 दिनांक 27.01.2011 उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी जिला कोटा के यहां से नकल प्राप्त कर यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है । अतः अप्रार्थी कम–1 के पक्ष में किये गये आवंटन दिनांक 21.12.2010 को निरस्त फरमाये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें ।

3. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया । अप्रार्थी की ओर से अभिभाषक उपस्थित । वकील अप्रार्थी द्वारा अपना जवाब प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया । वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई ।
4. वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को ही दौहराते हुए कथन किया है कि ग्राम डींगसी में खाता संख्या नया 36 पुराना 29 में स्थित भूमि खसरा नम्बर 186 रकबा 0.81 हे0 भूमि स्थित है जिस पर प्रार्थीगण का शांतिपूर्वक

जिला कलेक्टर
कोटा

Scanned by CamScanner

तरीके से कब्जा काश्त करते चले आ रहे है । अप्रार्थी द्वारा काश्त करने के लिये नई भूमि देने हेतु आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष खसरा नम्बर 187 की रकबा 0.32 हे0 भूमि का आवंटन करने हेतु जिस पर आवंटन सलाहकार समिति द्वारा उक्त भूमि का अप्रार्थी क्रम–1 को भूमिहीन मानते हुए दिनांक 21.12.2010 को अप्रार्थी–1 के पक्ष में आवंटन कर दिया गया । भू आवंटन सलाहकार समिति द्वारा आवंटित भूमि पर आवेदन दिनांक, पटवारी रिपोर्ट एवं उपखण्ड अधिकारी पर कहीं भी दिनांक अंकित नहीं है । तथा दखलनामे पर भी दिनांक अंकित नहीं है कि अप्रार्थी को किस दिनांक को दखल दिया गया है । आवंटन सलाहकार समिति द्वारा भूमि आवंटन करने से पूर्व किसी भी प्रकार की उद्घोषणा के अभाव में अप्रार्थीगण को किया गया आवंटन निरस्तनीय है । आवंटन सलाहकार समिति द्वारा अप्रार्थी क्रम–1 को मौके पर कोई भी आवंटन का दस्तावेज नहीं सम्भलाया गया और न ही उक्त आवंटन की प्रकिया मौके पर की गई । जबकि विधि के अनुसार समस्त आवंटन प्रकिया मौके पर ही कर आवंटी को दखल नामा दिया जाना चाहिए था और सारी प्रकिया मौके पर ही करना चाहिए थी । भूमि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा अप्रार्थी क्रम–1 से मिली भगत कर कपट पूर्वक मिथ्या रूप से आवंटन किया गया है । क्योंकि अप्रार्थी क्रम–1 को आवंटित की गई भूमि का केवल मात्र कागजों में ही दखल दिया गया है । मौके पर किसी प्रकार का कोई दखल नामा अप्रार्थी क्रम–1 को नहीं दिया गया है और न ही उक्त भूमि पर कब्जा दिया गया है । कब्जे के अभाव में अप्रार्थी को किया गया आवंटन विधि के सर्वथा विपरीत होने से निरस्तनीय है ।

5. वकील अप्रार्थी आवंटी द्वारा अपनी बहस में कथन किया है कि ग्राम डींगसी तहसील रामगंजमण्डी की खसरा नम्बर 187 की 0.81 हे0 भूमि में से 0.32 हे0 भूमि किस्म दीगर पीवत प्रतिपक्षी को नियमानुसार आवंटन की गयी थी । आवंटन के पश्चात नामान्तकरण संख्या 518 दिनांक 5.4.2011 से प्रतिपक्षी की गैर खातेदारी में दर्ज की गयी । आवंटन के पश्चात नियमानुसार प्रतिपक्षी नं0 1 को कब्जा दिया गया जिस पर आवंटन व दखल की तिथि से आज दिन तक लगातार प्रतिपक्षी नं0 1 का कब्जा काश्त चला आ रहा है । आवंटनसुदा 0.32 हे0 भूमि खसरा नम्बर 334/187 से प्रतिपक्षी नं0 1 की गैर खातेदारी में दर्ज चली आ रही है जिसका अंकन सम्वत 2068 –72 में दर्ज हो रहा है । प्रतिपक्षी नं0 1 ने अपने जीवनकाल में उपरोक्त भूमि को काफी मेहनत व मजदूरी कर काबिल काश्त बनायी और प्रतिपक्षी नं0 1 ही काश्त करता चला आ रहा है । प्रार्थीगण का उपरोक्त भूमि आवंटनसुदा भूमि पर कब्जा काश्त नहीं है । बल्कि इस आवेदन के माध्यम से कब्जा करने पर आमादा है । जिसका कि प्रार्थीगण को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है । प्रार्थीगण को प्रतिपक्षी नं0 1 को हुई आवंटन भूमि का आवंटन निरस्त कराने का अधिकार नहीं है । अप्रार्थी नं0 1 के पास उक्त भूमि के अलावा अन्य केई भूमि नहीं है । यदि उक्त आवंटन निरस्त कर दिया गया तो इससे अप्रार्थी नं0 1 को अपार क्षति होगी तथा उसके भूखे मरने की नोबत आ जावेगी । जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थना है कि कार्यवाही धारा 14(4) राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 ड्रोप व निरस्त फरमायी जावें ।

6. हमने पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया । वकील प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थन पत्र मात्र उक्त आवंटित भूमि पर कब्जे के आधार पर पेश किया गया है । वकील प्रार्थी वकील अप्रार्थी द्वारा

जिला कलेक्टर
कोटा

Scanned by CamScanner

उक्त भूमि पर कब्जा कितना पुराना है यह कहीं अंकित नहीं किया गया है और ना ही कोई कब्जे का आधार दस्तावेज पेश किये है । आवंटन कमेटी द्वारा नियमानुसार सिवायचक भूमि की उद्घोषणा जारी होने पर आवंटन हेतु आवेदन कमेटी के समक्ष पेश होने पर नियमानुसार आवंटन दिनांक 21.12.2010 को किया गया है । वकील अप्रार्थी ने आवंटित भूमि के सम्बन्ध में पटवारी रिपोर्ट, एवं अध्यक्ष द्वारा जारी आदेश पर दिनांक अंकित नहीं होने का कथन किया है, इस सम्बन्ध में हमने आवंटन पत्रावली का अवलोकन किया जिस अनुसार आवंटन सलाहकार समिति की मुकाम सलावदखुर्द में आवंटन सलाहकार समिति द्वारा आवंटन करने की राय दिनांक 21.12.2010 अध्यक्ष आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष पेश की है अध्यक्ष द्वारा भी उसी पेज की अन्तिम भाग में आदेश जारी किया गया है जो आवंटन सलाहकार समिति की सिफारिश दिनांक 21.12.2010 के तहत ही माना जावेगा । ऐसी स्थिति में वकील प्रार्थी ने प्रकट किये गये तथ्य आधारहीन होने से प्रार्थना पत्र आवंटन निरस्तीरण का अस्वीकार योग्य प्रतीत होता है ।

7. परिणामतः ग्राम डींगसी तहसील रामगंजमण्डी की आराजी खसरा नम्बर 187 रकबा 0.32 हे0, का दिनांक 21.12.2010 को अप्राथी नारायण पुत्र दोला एरवाल निवासी डींगसी के हक में किये गये आवंटन को निरस्त करने के पर्याप्त आधार पत्रावली पर उपलब्ध नहीं होने से उक्त आवंटन आदेश में हम कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है । प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है ।
8. निर्णय आज दिनांक 31.03.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

31/3/21

(उज्ज्वल राठौड़)
जिला कलक्टर
कोटा

जिला कलेक्टर
कोटा

Scanned by CamScanner